

न्यायालय, समाहर्ता--सह--जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

अधिहरण वाद संख्या-377/2019-20

खगड़िया थाना कांड संख्या-720/2019

राज्य बनाम पप्पु साह

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख--सहित 3.
17.08.2020	<p style="text-align: center;">वाहन विमुक्ति आदेश</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 232/हि0शा0 दिनांक 31.01.2020 से खगड़िया थाना कांड संख्या-720/2019 दिनांक 14.09.2019 में जब्त वाहन टेम्पु वाहन निबंधन संख्या-BR09PA-3999 को राजसात करने से संबंधित प्रस्ताव को संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया ।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के द्वारा प्रेषित पुलिस निरीक्षक सदर खगड़िया के प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 13.09.2019 को रात्रि 10:15 बजे थाना में प्रतिनियुक्त गुहरक्षक बल के साथ गश्ती में थे गश्ती के क्रम में विभिन्न सीनों पर छापामारी करते हुए बलुआही सिति चन्द्रशेखर यादव पूर्व ए.पी.पी की गली में पहुँचे तो वहाँ पर पहले से थाना में प्रतिनियुक्त आईगर मोबाईल के हवलदार रवि कुमार एवं सिपाही शिव कुमार मौजूद थे और टाईगर मोबाईल के द्वारा शराब के परिवहन की गुप्त सूचना से अवगत कराये। एक टेम्पु आया तो ये लोग रोकने का प्रयास किये टेम्पु में तीन व्यक्ति सवार उतर कर भागने लगे, जिसे पुलिस बल के सहयोग से दो व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़ाये हुये व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम संजय कुमार सिंह पे0 स्व0 रामानंद यादव साकिन दुर्गापुर थाना मुफसिल जिला खगड़िया, दिपक सिंह पे0 विजय सिंह साकिन बलुआही थाना+जिला खगड़िया बताये और वे दोनों व्यक्ति सवीकार किये कि इस टेम्पु में भारी मात्रा में शराब मौजूद है। तत्पश्चात साथ में आये सिपाही यथा अरुण कुमार यादव एवं राम महतो को साक्षी के समक्ष टेम्पु की तलाशी लिया गया तो दो बोरी में ऑफिस च्वाईस लिया फुर्तिना पाउच मात्रा 200 एम0एल0 प्रेस्टिज व्हीस्की फोर सेलिंग इन बंगाल अनली का कुल 130 पीस बरामद किया गया। विधिवत गिरफ्तारी मेमो बनाकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना लाये। इस कांड में पकड़ाये हुए अभियुक्त 1.संजय कुमार पे0 स्व0 रामानंद यादव साकिन दुर्गापुर, थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया, 2.दिपक सिंह पे0 विजय सिंह साकिन बलुआही, 3.बेगी यादव उर्फ रंजीत यादव पे0-सुबुक लाल यादव, साकिन बलुआही दोनों थाना+जिला खगड़िया के विरुद्ध अवेध रूप से शराब परिवहन एवं बिक्री करने के आरोप में यह कांड अंकित किया गया।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के द्वारा प्रेषित के अनुसार प्राथमिकी अभियुक्त-1.संजय कुमार पे0-स्व0 रामानंद यादव साकिन दुर्गापुर थाना-मुफसिल, 2.दिपक सिंह पे0 विजय सिंह साकिन-बलुआही थाना+जिला खगड़िया 3.बेगी यादव उर्फ रंजीत यादव पिता सुबुक लाल यादव साकिन बलुआही थाना+जिला-खगड़िया विरुद्ध खगड़िया थाना कांड संख्या-720/2019 दिनांक 14.09.2019 धारा-30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: center;">माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा C.W.J.C No-</p>	